न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर ए एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 12 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 09.01.2018

1. माधु पिता कालु जाति जाट निवासी कचोलिया तहसील कपासन–मृतक के बजाय
   1. जीतमल पिता माधु जाति जाट निवासी कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   2. देवीलाल पिता माधु जाति जाट निवासी कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   3. किशनलाल पिता माधु जाति जाट निवासी कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   4. जमनालाल पिता माधु जाति जाट निवासी कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   5. गोपीबाई विधवा माधु जाति जाट निवासी कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. शम्भु पिता लक्ष्मण जाति जाट निवासी कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 122/2012 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016

उपस्थित– 1. कृष्णगोपाल झंवर–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. बालेन्द्र कोठारी–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांक 22.09.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र बंटवाडा कृषि आराजीयात अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.1 के मौजा कचोलिया तहसील कपासन मे संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 194 रकबा 0.23 हैक्टेयर 208 रकबा 0.20 हैक्टेयर 317

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रकबा 0.17 हैक्टेयर आराजी नम्बर 556 रकबा 0.36 हैक्टेयर आराजी नम्बर 557 रकबा 0.34 हैक्टेयर आराजी नम्बर 558 रकबा 0.49 हैक्टेयर आराजी नम्बर 616 रकबा 0.88 हैक्टेयर आराजी नम्बर 639 रकबा 0.37 हैक्टेयर आराजी नम्बर 640 रकबा 0.34 हैक्टेयर आराजी नम्बर 641 रकबा 0.82 हैक्टेयर आराजी नम्बर 646 रकबा 0.70 हैक्टेयर आराजी नम्बर 694 रकबा 0.08 हैक्टेयर आराजी नम्बर 695 रकबा 0.02 हैक्टेयर आराजी नम्बर 696 रकबा 0.05 हैक्टेयर आराजी नम्बर 703 रकबा 0.08 हैक्टयर आराजी नम्बर 705 रकबा 0.24 हैक्टेयर आराजी नम्बर 706 रकबा 0.26 हैक्टेयर आराजी नम्बर 707 रकबा 0.12 हैक्टेयर आराजी नम्बर 708 रकबा 0.13 हैक्टेयर आराजी नम्बर 740 रकबा 0.25 हैक्टेयर आराजी नम्बर 868 रकबा 0.15 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1047 रकबा 0.17 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1048 रकबा 0.15 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1057 रकबा 0.11 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1058 रकबा 0.16 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1062 रकबा 0.44 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1094 रकबा 0.84 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1195 रकबा 0.66 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1400/578 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 9.20 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात मे से आराजी नम्बर 703, 705, 708, 1094, 1195, 1048, 1058, 616, 194, कुल किता 9 कुल रकबा 3.74 हैक्टेयर पर अपीलान्ट वादी मौके पर काबिज है। आराजी नम्बर 208, 317, 639, 640, 641, 646, 694, 706, 707, 868, 1047, 1057 कुल किता 12 कुल रकबा 3.74 हैक्टेयर पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी काबिज है। उक्त आराजीयात मे से आराजी नम्बर 1400/578, 556, 557, 558, 696, 1062, कुल किता 6 रकबा 1.70 हैक्टेयर पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 संयुक्त रूप से काबिज है। आराजी नम्बर 695 रकबा 0.02 कुंआ स्थित है जिसमे अपीलान्ट वादी का 1/2 रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। उसी अनुसार बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग-अलग दर्ज फरमाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से दिनांक 10.04.2012 को प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 11.06.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दावे व जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त पत्रावली तनकियात कायमी हेतु नियत की गई। पत्रावली कायमी तनकियात हेतु नियत होते हुए पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट हिंगोरिया मे प्रस्तुत हुई। उभयपक्षकारान लोक अदालत मे उपस्थित हुए व अपनी ओर से प्राथमिक डिक्री हक हिस्से अनुसार किये जाने क का लिखित राजीनामा व सहमति व्यक्त की। जिसे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.06.2018 को लिखित राजीनामे के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। तहसीलदार कपासन को फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कर फर्द बंटवाडा तलब किया गया। कमिश्नर के द्वारा उभयपक्षकारान को लिखित सूचना दी जाकर पटवारी हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार फर्द बंटवाडा तैयार किया व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को सुना जाकर लोक अदालत कैम्प कोर्ट निम्बाहेडा मे कमिश्नर के द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये फर्द बंटवाडे के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने इस न्यायालय मे अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया गया कि अपीलान्टगण माधु के वारिसान है। विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दिनांक 30.11.2017 को धमकी दी की तुम्हारे कब्जे वाली आराजीयात हमारे हिस्से मे आ गई है जिससे तुम्हे बेदखल कर देगे। जिससे न्यायालय मे जाकर पता लगाया वह निर्णय की जानकारी हुई। नकल लेने का आवेदन दिनांक 01.12.2017 को पेश किया। नकल दिनांक 04.12.2017 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात् प्रार्थीगण काश्तकारी कार्य मे व्यस्त हो गये। अपील करने के लिये खर्चे की व्यवस्था की व कानूनी राय लेकर यह अपील दिनांक 29.12.2017 को प्रस्तुत है। जिससे अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे। कानून म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपील के गुणावगुण को मध्यनजर रखते हुए किया जाना अपेक्षित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायलय द्वारा तनकियात के स्टेज पर होते हुए लोक अदालत मे नियत किया जाकर लिखित राजीनामे के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। तहसीलदार कपासन को फर्द बंटवाडा तलब किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे नियुक्त कमिश्नर के द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना नही कर मौके की स्थिति के विपरीत फर्द बंटवाडा भू-अभिलेख निरीक्षक से मूर्तिब कराया जाकर अधीनस्थ विद्धवान

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चरण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उसी फर्द बंटवाडे के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिससे अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील गुणावगुण के आधार पर स्वीकार योग्य है। अपीलान्टगण ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975, आर.जे.टी. 2016 पार्ट-3 पेज 1544 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद माने जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने बंटवाडे का वादपत्र का प्रस्तुत किया। वादपत्र मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हक व हिस्सा होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली वास्ते तनकियात नियत की गई व तनकियात कायम होने से पूर्व ही दिनांक 19.06.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट हिंगोरिया मे प्रस्तुत हुई। लोक अदालत मे उभयपक्ष उपस्थित हुए। लिखित राजीनामा बाबत् बंटवाडा किये जाने प्रस्तुत किया। लिखित राजीनामे के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार कपासन स्वंय अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के साथ उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे लोक अदालत मे उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित बंटवाडो नियमो के परिप्रेक्ष्य मे फर्द बंटवाडा तैयार करवाया जाकर उभयपक्षकारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये व उक्त फर्द बंटवाडा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस पर उभयपक्षो को सुना जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण वादी की अपील म्याद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादी ने कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। जवाबदावा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते तनकियात नियत हुई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 19.06.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट हिंगोरिया मे नियत की गई। जिसमे उभयपक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान की ओर से लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। लिखित राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात का बंटवाडा हक व हिस्से के अनुसार किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार कपासन के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के साथ उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मूर्तिब किया जाकर उभयपक्षकारान की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये जिसमे अपीलान्ट माधु स्वंय ने अंगूठा निशानी की है। अपीलान्ट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जीतमल स्वंय ने भी हस्ताक्षर किये है। उक्त फर्द बंटवाडा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे कमिश्नर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडे का अवलोकन किया जाकर फर्द बंटवाडा विधिसम्मत होने से उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे कैम्प कोर्ट निम्बाहेडा मे अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अंतिम निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे पारित की गई है जो विधिसम्मत है। अपीलान्टगण वादी की जानकारी मे होते हुए अपीलान्टगण ने इस न्यायालय मे अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु कानून म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नही है। जिससे अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद व गुणावगुण के आधार पर स्वीकार योग्य नही है। व अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होना पाये जाने से अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण संख्या 122/2012 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 12/2018 /डिक्री

(1) श्री माधु पिता कालु जाति जाट निवासी क्योलिया तहसील कपासन मृतक के बजाय – (i) देवीलाल पिता माधु जाति जाट निवासी क्योलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ । (ii) देवीलाल पिता माधु जाति जाट निवासी क्योलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ । (iii) किशनलाल पिता माधु जाट निवासी क्योलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ । –अपीलान्ट	बनाम	(1) श्री शम्भु पिता लक्ष्मण जाति जाट निवासी क्योलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ । (2) राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ । (3) शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ । –रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कपासन दि. 30-06-2016 प्रकरण सं. 122/2012 अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अ. 1955 को अपीलान्ट की ओर से निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 22-09-2022 को अपीलान्ट की ओर से श्री बालेन्दु कोठारी व रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कृष्णगोपाल झंवर रेस्पो. सं. 1 व राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलान्टगण की अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण संख्या 122/2012 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30-06-2016 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....-........ रुपये हैं, ...-........ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....-........ द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 22-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(हस्ताक्षर)

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 22-09-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(iv) जमनालाल पिता माधु जाट
निवासी कचोलिया तहसील कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ ।

(v) गोपीबाई विधवा माधु जाट
निवासी कचोलिया तहसील कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)